



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245102
CG-DL-E-11042023-245102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]
No. 222]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

सं. 27/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 283(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:---

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कर्नाटक राज्य के संबंध में, कॉलम (3) में मद (iii) को और कॉलम (4) की उससे सम्बंधित प्रविष्टि को निर्धारित किया जाएगा।

[फा. सं. CBIC-50394/08/2023-तस्करी-रोधी खंड-CBEC]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 80/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 सितंबर, 2022, सा.का.नि. 718(अ), दिनांक 21 सितंबर, 2022 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2023

No. 27/2023-Customs (N.T.)

G.S.R.. 283(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (NT) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 6, relating to the State of Karnataka, in column (3), item (iii) and the corresponding entry relating thereto in column (4) shall be omitted.

[F. No. CBIC-50394/08/2023-Anti Smuggling Section-CBEC]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note : The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 80/2022-Customs (N.T.), dated the 21st September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 718 (E), dated the 21st September, 2022.